पेश है।

24/12/25

8/1/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूँगला से जवाब प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। भूमिधारी तहसीलदार डूँगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/282 दिनांक 29-12-2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी श्री विजय सिंह पिता मिश्रीलाल जैन निवासी मंगलवाड़ के नाम ग्राम मंगलवाड़ की आराजी नम्बर 4233/21 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तथा आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, डूँगला

P.T.O.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

4233/21 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि वर्तमान रिकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 3371/21 आराजी नम्बर 4237/21 आराजी नम्बर 3026/21 के पश्चिम दिशा में तरमीम दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी आराजी नम्बर 4233/21 मौके के अनुसार आराजी नम्बर 3371/21, आराजी नम्बर 4237/21 आराजी नम्बर 3026/21, आराजी नम्बर 4236/21 के उत्तर दिशा में स्थित आराजी संख्या 21 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि किस्म बिलानाम भूमि में काबिज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा के अनुसार आराजी नम्बर 4233/21 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी विजय सिंह पुत्र मिश्रीलाल का कोई कब्जा नहीं होकर मौके पर पक्की सड़क (रास्ता) व अन्य मकान बने हुए है। जबकि प्रार्थी मुर्तसे आज दिनांक तक कब्जा काश्त आराजी नम्बर 21 में ही होकर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी इसी आराजी में काबिज काश्त है। राजस्व नक्शा में आराजी नम्बर 4233/21 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि की सही तरमीम नहीं हुई होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 4233/21 का मौके पर कब्जा के अनुसार राजस्व नक्शा में शुद्ध तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रस्तावित राजस्व नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी व पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में हो रही अशुद्ध तरमीम को शुद्ध तरमीम प्रस्तावित नक्शा के अनुसार किया जाने हेतु सहमत है। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान के अनुसार सही पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा मंगलवाड़ की आराजी नम्बर 4233/21 रकबा 0.2500 है. भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में हो रही अशुद्ध तरमीम को नियमानुसार विलोपन किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा साथ ही प्रस्तावित राजस्व नक्शा के अनुसार मौजा मंगलवाड़ की बिलानाम आराजी [illegible] हैक्टेयर भूमि में शुद्ध तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार डूंगला को दिया जाता है। तहसीलदार डूंगला नियमानुसार नक्शा में शुद्ध तरमीम की कार्यवाही करें। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूंगला को तहरीर के साथ मय नक्शा के भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधि[illegible] एवं
उपखण्ड म[illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested